झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :–7वि॰शा॰/विविध–12–43/2019 ज॰सं॰– 59/19-20 ज॰सं॰/ राँची, दिनांक 23.10.19

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **जल संसाधन विभागान्तर्गत EXECUTION CASE NO-26/2018 से संबंधित मामलों में पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में वादी को भुगतान हेतु रूपये 25.00 हजार (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

1. जल संसाधन विभाग अन्तर्गत लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर, देवघर के अधीन लोहारडीह उद्वह सिंचाई योजना से संबंधित मनी सूट संख्या–05/2002 में पारित आदेश का अनुपालन हेतु वादी द्वारा Execution case no. 26/2018 माननीय न्यायालय में दायर किया गया है:

   कार्यपालकं अभियंता की अनुशंसा के आलोक में उक्त पारित Decree के अनुपालन के निमित वादी को रू॰ 24632.00 (चौबीस हजार छः सौ बत्तीस) मात्र के भुगतान हेतु रू॰ 25000.00 (पच्चीस हजार रूपए मात्र) के प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।

2. .उक्त कार्य पर होने वाला व्यय मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–101–सतही जल, उप शीर्ष–18–चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45– निर्माण कार्य अंतर्गत भारित किया जायेगा।

3. कंडिका 2 में उल्लेखित मद में वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु रूपये 385.00 लाख का बजटीय उपबंध है।

4.. इस कार्य के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर, देवघर तथा मुख्य अभियंता, लघु सिचाई, दुमका नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5.. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं॰–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

7 .झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

8 राज्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो॰–हिनू, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
23.10.19
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :–7वि॰शा॰/विविध–12–42/2019 ज०सं०– 59/19-20 पु० स्वी०/राँची, दिनांक 23-10-19

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/अपर मुख्य सचिव, योजना–सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.10.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :–7वि॰शा॰/विविध–12–42/2019 ज०सं०– 59/19-20 पु० स्वी०/राँची, दिनांक 23-10-19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/जिला कोषागार, राँची/देवघर/दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.10.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :–7वि॰शा॰/विविध–12–42/2019 ज०सं०– 59/19-20 पु० स्वी०/राँची, दिनांक 23-10-19

प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/अभियंता प्रमुख–I& II/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.10.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :–7वि॰शा॰/विविध–12–42/2019 ज०सं०– 59/19-20 पु० स्वी०/राँची, दिनांक 23-10-19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (मो०), राँची/सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/संबंधित प्रमडल के कार्यपालक अभियंता इस कार्य के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.10.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :–7वि॰शा॰/विविध–12–42/2019 ज०सं०– 59/19-20 पु० स्वी०/राँची, दिनांक 23-10-19

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

23.10.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव